

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 434]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 सितम्बर 2013—भाद्र 27, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2013 (भाद्र 27, 1935)

क्र. 18766-वि.स.-विधान-2013.—माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा निर्वाचन याचिका क्रमांक-11/2009 श्री बालमुकुंद सिंह गौतम विरुद्ध श्रीमती नीना विक्रम वर्मा एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2012 व 14 अगस्त 2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती नीना विक्रम वर्मा के मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 201—धार से निर्वाचन को शून्य (Void) घोषित किया जाकर श्री बालमुकुंद सिंह गौतम को मध्यप्रदेश विधान सभा के सामान्य निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 201—धार से मध्यप्रदेश विधान सभा के आम चुनाव वर्ष 2008 के लिये सम्यकरूप से निर्वाचित घोषित किया गया है.

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती नीना विक्रम वर्मा के स्थान पर मध्यप्रदेश विधान सभा के सामान्य निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 201—धार से श्री बालमुकुंद सिंह गौतम, मध्यप्रदेश विधान सभा के आम चुनाव वर्ष 2008 के लिये सदस्य हैं.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.